(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1391–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–2003 – पारित – व्दारा – तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 1567–एक/2001

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1– अश्रय कुमार पुत्र रामविश्वास
ग्राम दादर तहसील हुजूर जिला रीवा
2– जे0पी0सीमोन्ट नौवस्वा, रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से पैनल लायर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 4 – 2016 को पारित)

तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1567–एक/2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–3–2003 पर से यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम दादर तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1458 रकबा 2.50 एकड़ नायव तहसीलदार, वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर रीवा ने प्रकरण कमांक 76/अ–19/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 25–12–89 से अनावेदक कमांक–1 के हित में व्यवस्थापित की । नायव तहसीलदार व्दारा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने के आधार पर कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 98/97–98 पंजीबद्ध किया तथा अनावेदक कमांक–1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनावेदक

क-1 ने कलेक्टर रीवा के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 11-7-2000 को आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे कलेक्टर रीवा से अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-2001 से अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 206/2000-01 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-4-2001 से निगरानी अवधि-वाह्य मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1567-एक/2001 दर्ज कराई गई, जो आदेश दिनांक 25-3-03 से आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 25-4-2001 एंव कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 11-7-2000 निरस्त किया गया एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-12-89 से किया गया भूमि व्यस्थापन आदेश स्थिर रखा गया। इसी आदेश पर से यह पुनरावलोकन आवेदन पंजीबद्ध कराया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर परिलक्षित हुआ कि नायव तहसीलदार व्दारा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने पर कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 98/97-98 पंजीबद्ध किया है तथा अनावेदक कमांक-1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनावेदक क-1 ने कलेक्टर रीवा के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 11-7-2000 को आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे कलेक्टर रीवा से अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-2001 से अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 206/2000-01 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-4-2001 से निगरानी अवधि-वाह्य मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1567-एक/2001 दर्ज

कराई गई, जो आदेश दिनांक 25-3-03 से आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 25-4-2001 एंव कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 11-7-2000 निरस्त किया गया एंव नायव तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25-12-89 स्थिर रखा गया। मुझे इन तथ्यों को देखकर विस्मय है कि मान0तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल ने निगरानी प्रकरण को गुणदोष के आधार पर किन आधारों पर स्वीकार कर व्यवस्थापन यथावत् रखा है जबकि कलेक्टर रीवा ने आपत्ति दिनांक 11-7-2000 अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-2001 से निरस्त की थी तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने निगरानी कमांक 206/2000-01 आदेश दिनांक 25-4-2001 से अवधि-वाह्य मानकर निरस्त की थी।

1. **भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा -47 - अवधि-वाह्य अपील/निगरानी अमान्य की गई। अपीलीय न्यायालय व्दारा समयसीमा मानते हुये विलम्ब क्षमा - मामला गुणदोष पर विनिश्चिय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जायेगा।**
2. **भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा -50 - अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी स्वीकार की गई - मामला विचारण न्यायालय को गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया जायेगा।**

परन्तु तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 25-3-2003 पारित करते समय यह तथ्य उनके अभिज्ञान में न हो पाने के कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्थिति यह है कि तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1567-एक/2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-2003 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में आये विवरण पर पूर्णरूप से ध्यान नहीं दिया है क्योंकि नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर

जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 76 अ-19/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 25-12-1989 से ग्राम दादर की भूमि सर्वे रकबा 2.50 एकड़ का व्यवस्थापन अनावेदक कमांक-1 के हित में किया है जबकि इस व्यक्ति के नाम पूर्व से ही 147-00 एकड़ भूमि थी अर्थात अनावेदक कमांक-1 भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं था। कलेक्टर रीवा व्दारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भी अनावेदक क-1 के नाम 161.46 एकड़ भूमि है अर्थात अनावेदक कमांक-1 बड़ा कास्तकार है जबकि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन केवल कृषि श्रमिक को ही की जा सकती हैं वह भी तब - जबकि ऐसे कृषि श्रमिक का व्यवस्थापित की जाने वाली भूमि पर 2-10-1984 से कब्जा रहा हो। विचाराधीन प्रकरण में अनावेदक कमांक -1 पूर्व से ही 147-00 एकड़ भूमि धारित किये था तथा वादोक्त भूमि पर उसका 2-10-84 से कब्जा होने की जांच कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है अर्थात वह कृषि श्रमिक नहीं था। अतएव तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 25-3-2003 पारित करते समय उनसे इस तथ्य पर दृष्टिचूक हो जाने के कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ पुनरावलोकन के आधारों में शासन के पैनल लायर ने एक सशक्त आधार यह बताया है कि तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 25-3-2003 पारित करते समय इस पर गौर नहीं किया कि अनावेदक क-1 ने वादग्रस्त भूमि व्यवस्थापित कराकर शासन से प्राप्त भूमि को बिना सक्षम अनुमति के संहिता की धारा 165 का उल्लॅघन करते हुये विक्रय कर दी है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि ग्राम दादर तहसील

हुजूर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1458 रकबा 2.50 एकड़ नायब तहसीलदार, वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर रीवा के आदेश दिनांक 25-12-89 से अनावेदक कमांक-1 के हित में आवंटित की गई है अर्थात अनावेदक कमांक-1 व्दारा धारित उक्त भूमि शासन से प्रदान की गई भूमि थी। शासन से कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि संहिता की धारा 165 के अंतर्गत सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय नहीं की जा सकती, परन्तु अनावेदक कमांक-1 ने शासन से कृषि कार्य हेतु प्राप्त की गई भूमि अनावेदक क-2 को विक्रय कर दी, इस प्रकार बिना सक्षम अनुमति के किया गया क्रय-विक्रय विधि के प्रभाव से शून्यवत् होता है, परन्तु तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 25-3-2003 पारित करते समय यह तथ्य नजरन्दाज हो जाने के कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1567-एक/2001 में पारित दिनांक 25-3-2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरिम आदेश दिनांक 1-2-2001 के पूर्व की स्थिति में लाकर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिसंगत आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर